–पेंतीस–

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या क0नि0–5–3104/11–2004–500(15)–2004 टी0सी0

लखनऊ, दिनांक 16 जून, 2004

अधिसूचना

आदेश

प0आ0–203

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित लिखतों, जब वे उत्पादन (नवीन क्षमता और आर एवं एम) पारेषण और वितरण से संबंधित ऐसी परियोजनाओं में, जहॉ उत्तर प्रदेश राज्य में 31 मार्च, 2009 तक की नीति अवधि के भीतर कुल पूंजीगत निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, किसी निजी निवेशक कंपनी द्वारा या उसके पक्ष में सन् 2004 में यथा संशोध्तिा उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति, 2003 के अधीन निष्पादित की गयी हो, के संबंध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में धनराशि की उस सीमा तक छूट प्रदान करते हैं जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ–3 में प्रत्येक के समक्ष उल्लिख्तिा स्टाम्प शुल्क से अधिक हो।

अनुसूची

क्रम संख्या	लिखत	स्टाम्प शुल्क की धनराशि
1	2	3
1	उक्त कंपनी के विलयन आमेलन, अविलयन अथवा पुनर्निर्माण, पुनर्व्यवस्था या पुनर्संगठन स्कीम के लिए अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य	लागू दर के अनुसार, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के लिए अधिकतम दस करोड़ रुपये तक।
2	उक्त कम्पनी की आस्तियों के विक्रय पर, अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य।	लागू दर के अनुसार अधिकतम दो करोड़ रुपये तक।
3	अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 40 के खण्ड (ख) के अधीन बिना कब्जा के बंधक, चाहे उक्त कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रीकृत हों अथवा न हों।	लागू दर के अनुसार अधिकतम पॉच लाख रुपये तक।
4	अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 40 के खण्ड (क) के अधीन कब्जा सहित बंधक, चाहे उक्त कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रीकृत हों अथवा न हों।	लागू दर के अनुसार अधिकतम पॉच लाख रुपये तक।
5	अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 6 के अधीन साम्यिक बंधक, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो अथवा न हों।	लागू दर के अनुसार अधिकतम दस हजार रुपये तक।
6	अंग्रेजी बन्धक (सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882) की धारा 58 के खण्ड (ङ) के अधीन उल्लिखित।	लागू दर के अनुसार अधिकतम पॉच लाख रुपये तक।
7	ऐसी परियोजना के प्रयोजन के लिए, जहॉ उपर्युक्त परियोजना को कार्यान्वित करने वाली पात्र इकाई, अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 35 के अधीन, पट्टाकर्ता अथवा पट्टागृहीता के रूप में पक्षकारों में से एक हो।	
	(क) जहॉ पट्टा तीस वर्ष से अनधिक वर्ष के लिए हो।	लागू दर के अनुसार अधिकतम एक लाख रुपये तक।
	(ख) जहॉ पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो।	लागू दर के अनुसार अधिकतम दो लाख पचास हजार रुपये तक।
8	अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 64 के अधीन उक्त कम्पनी द्वारा सृजित न्यास।	लागू दर के अनुसार अधिकतम दो हजार रुपये तक।
9	अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 58 के अधीन उक्त कम्पनी द्वारा किया गया व्यवस्थापन।	लागू दर के अनुसार अधिकतम दो हजार रुपये तक।

10	ऊपर उल्लिखित परियोजना के प्रयोजन के लिए विक्रय करार जहाँ परियोजना कार्यान्वित करने वाली इकाईयाँ पक्षकारों में से एक हो,	
	(क) बिना कब्जा के (अनुच्छेद 23 के स्पष्टीकरण के अधीन)	लागू दर के अनुसार अधिकतम बीस हजार रुपये तक।
	(ख) बिना कब्जा के (अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 5(ख–1) के अधीन)	लागू दर के अनुसार अधिकतम दस हजार रुपये तक।

टिप्पणी :– इस आदेश के अधीन छूट केवल ऐसे प्रमाण–पत्र पर अनुमन्य होगी जो प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो उस विभाग के विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो, उपर्युक्त परियोजना में एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश के लिए निजी निवेशक कम्पनी को प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित करते हुए जारी किया गया हो।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. K.N.-5-3104/XI-2004-500-(15)-2004 T.C. dated June 16, 2004 for general information :

No. K.N.-5-3104/XI-2004-500-(15)-2004 T.C.

Lucknow, Dated June 16, 2004

Notification

Order

In exercise of the power under clause (a) of sub-section (1) section 9 of tbe Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), the Governor is Pleased to remit the stamp duty chargeable in respect of the instruments mentioned in Column 2 of the scheduled below to the extent of the amount which may exceed the amount of Stamp Duty mentioned against each in Column 3 of the said Schedule when executed under Uttar Pradesh Power Policy, 2003 as amended in 2004, by or in favour of a private investor Company in project relating to Generation (new capacity and R & M) Transmission and Distribution where the aggregate capital investment within the policy period up to March 31, 2009 is Rupees one thousand crore or more in the State of Uttar Pradesh.

SCHEDULE

S.No.	Instruments	Amount of Stamp Duty
1	2	3
1	For merger, amalgamation, demerger or scheme of reconstruction, rearrangement or reorganization of th said company chargeable under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B	As per applicable rate subject to a maximum of Rupees ten crore for both moveable and immovable properties.
2	On sale of assets of the said company chargeable under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B	As per applicable rate subject to a maximum of Rupees two crore.
3	Mortgage without possession whether registered or not by the said company under clause (b) of Article 40 of Schedule 1-B	As per applicable rate subject to a maximum of Rupees five lakh.

4	Mortgage with possession whether registered or not by the said company under clause (a) of Article 40 of Schedule 1-B	As per applicable rate subject to a maximum of Rupees five lakh
5	Equitable mortgage whether registered or not, under Article 6 of Schedule 1-B	As per applicable rate subject to a maximum or Rupees ten thousand.
6	English mortage (as mentioned under clause (e) of section 58 of the Transfer of Property Act, 1882)	As per applicable rate subject to a maximum of Rupees five lakh.
7	Lease of immovable property for the purpose of the Project where eligible units implementing the above project is one of the parties either as a lessor or lessee under Article 35 of Schedule 1-B,	
	(a) where the lease is for a period not exceeding thirty years.	As per applicable rate subject to a maximum of Rupees two lakh.
	(b) where the lease is for a period exceeding thirty years.	As per applicable rate subject to a maximum of Rupees two lakh fifty thousand.
8	Trust created by the said Company under Article 64 of Schedule 1-B	As per Applicable rate subject to a maximum of Rupees two thousand.
9	Settlement made by the said Company under Article 58 of Schedule 1-B	As per applicable rate subject to a maximum or Rupees two thousand
10	Agreement to sell for the purpose of the above mentioned project where eligible units implementing the project is one of the parties,	
	(a) with possession (under Explanation to Article 23)	As per applicable rate subject to a maximum of Rupees twenty thousand.
	(b) without possession [under Article 5(b-1) of Schedule 1-B]	As per applicable rate subject to a maximum or Rupees ten thousand.

Note : The remission under this order shall only be admissible on the certificate issued to the private investor company for investment of rupees one thousand crore or more in the aforesaid project by the principal Secretary, Department of Energy, Government of Uttar Pradesh of an officer authorized by him not below the rank of Special secretary or thae Department under intimation to the Principal Secretary, Tax and Registration Department, Government or Uttar Pradesh.

By order,
Sd/- Illegible
RITA SINHA,
Pramukh Sachiv.